गोवा विधान सभा में

"विकसित भारत – 2047 हेतु निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका" विषय पर

माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

आज आप सबके बीच गोवा विधान सभा में उपस्थित होकर, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने में हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका, गोवा विधान सभा की भूमिका और हमारी जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं- पंचायत, नगरीय क्षेत्र संस्थाएं आदि हैं, हम सबके सामूहिक प्रयासों से, हम किस तरह से, नये भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्म-विश्वासी भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने के साथ ही, हम लोग यहाँ पर सामूहिक संकल्प के लिए आए हैं।

मैं इस मौके पर गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, गोवा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री रमेश तावडकर जी, जिन्होंने केन्द्र सरकार में एक सांसद और मंत्री के रूप में भी गोवा का नेतृत्व किया, श्री श्रीपद येसो नायक जी, गोवा विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री जोशुआ डिसुजा जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, माननीय विधायकगण, पंचायत और नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधिगण, गोवा विधान सभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रिगण एवं सभी प्रतिष्ठित नागरिकों का, मैं गोवा विधान सभा में हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।

गोवा देश की वह मनोरम धरती है जहाँ की प्राकृतिक सुन्दरता, जहाँ की संस्कृति, जहाँ का समुद्र तट, जहाँ आधुनिक और विरासत की संस्कृति है, विशेष रूप से, जिसमें नूतनता के साथ ही प्राचीनता का भी अद्भुत संगम है, गोवा अपने-आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

गोवा केवल इस देश का ही नहीं, बल्कि विश्व का भी एक पर्यटन स्थल बन चुका है। भारत के अलग-अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और विश्व के कई देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। इसलिए पर्यटन के रूप में भी गोवा को जिस तरह से विकसित किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।

गोवा की मेहनतकश, परिश्रमी, मिलनसार जनता के कारण ही गोवा ने सबका दिल जीता है। इसीलिए आज देश-दुनिया के लोग गोवा की तरफ आकर्षित होते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर वर्ष 2047 में एक विकसित भारत का सपना देखा है।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश की जनता से आह्वान किया कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से देश की 140 करोड़ जनता के सामूहिक प्रयास, सामूहिक कर्तव्य एवं सामूहिक दायित्व से जब वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल होंगे, तब हम भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। इस विकसित भारत को बनाने में यदि सभी राज्य की जनता और पूरे देश की जनता सामूहिक प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से हमारा यह संकल्प सिद्धि की ओर होगा।

मुझे पता है कि गोवा विधान सभा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। गोवा की जनता ने वर्ष 1947 के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी और वर्ष 1961 में गोवा को स्वतंत्रता मिली।

आज इतने कम समय के अंदर गोवा के विकास में और यहां की जनता के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में इस विधान सभा की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि, यही वह कार्यस्थली है जहां पर हमने राजनीतिक संस्कृति को एक कार्य संस्कृति के आधार पर गोवा के विधान सभा की नीतियां, कार्यक्रम और लोगों को अधिकार देने के लिए कानून बनाए। उसके कारण आज गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

मुझे खुशी है कि गोवा शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सहित अन्य सभी पैरामीटर में अग्रिम स्थान पर है। यहां के मुख्य मंत्री लगातार हम किस तरीके से देश और विश्व के मानकों में सबसे प्रथम पंक्ति पर आएं, इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। इसीलिए, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम यह कह सकते हैं कि देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेह बन गई हैं। लेकिन, हमारे सपने कुछ और हैं। हमें उन सपनों को इन 25 वर्षों के अंदर पूरे करने हैं।

आजादी के बाद हमने एक लंबी विकास की यात्रा की। आजादी के लंबे संघर्ष के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। हम उन चुनौतियों से लड़े और सामूहिकता के साथ लड़े। हम सामूहिक उत्तरदायित्व से लड़े। हमने दुनिया में साबित किया कि इतने बड़े देश में जहां इतनी विविधता है, विविधताओं में अलग-अलग संस्कृति, भाषा और बोली है तथा अलग-अलग विचाराधाराओं के लोग भी हैं। हमने इसी संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से आज दुनिया को बताया है कि इस विविधता की ताकत हमारी सामूहिकता की ताकत है।

हम वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति में विश्वास करते हैं। इसीलिए, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में, जिसमें हमारा अमृतकाल चल रहा है, इस अमृतकाल में हमने काफी सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन चुनौतियां भी हमारे सामने हैं।

दूसरी तरफ, उन चुनौतियों से लड़ने का सामर्थ्य भी हमारे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी युवाशक्ति हमारे पास है। हमारे पास कुशल नेतृत्व है। हमारे यहां संसदीय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और उनके जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने जनता के विश्वास और भरोसे को जीता है। भारत के अंदर जोश, उमंग और नये संकल्प को पूरा करने का सामर्थ्य है। दुनिया भारत के सामर्थ्य की ओर देख रही है। हमने कई आपदाएं और चुनौतियां झेली हैं। हम कोविड जैसी महामारी से भी लड़े।

कोविड जैसी महामारी, चुनौती से हम लड़े और उस चुनौती से लड़ने के बाद उस आपदा से हम बाहर निकले। हमने विश्व के कई देशों की आपादा के समय मदद भी की। आज भारत का यह सामर्थ्य बना है। हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, नए इनोवेशन की ताकत, नया चिंतन, नया विचार, नया जोश, कुछ कर गुजरने की शक्ति, सामर्थ्य भारत के अंदर है और इसीलिए सबके सामूहिक प्रयासों से हम निश्चित रुप से वर्ष 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे।

आप सब जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व ज्यादा होता है। एक छोटे राज्य में हम किस तरीके से जनता के साथ संवाद करके, जनता के साथ चर्चा करके, उनके अभावों को समझकर, उनकी कठिनाइयों को समझकर और भविष्य की चुनौतियों को समझकर इस सदन के माध्यम से चर्चा और संवाद करके उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में इसी चर्चा/संवाद, सहमति/असहमति से हमने देश का विकास किया है। हमारे जो विधान मंडल हैं, उन विधान मंडलों के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनके अभावों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते हैं।

जितना ज्यादा जनता से हमारा संपर्क होगा, जितनी निकटता से हम समस्याओं को समझेंगे और उनके समाधान के रास्तों की चर्चा करेंगे, उतना बेहतर होगा। मुझे कई बार लगता है कि विधान मंडल हों या संसद हो, आजकल उनमें नीतियों/कार्यक्रमों की आलोचना करने की जगह विरोध की नई प्रवृति शुरु हुई है। सहमति/असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। नीतियों की आलोचना करना हमारे लोकतंत्र की विशेषता है।

जब हम फ्लोर पर बात करें तो नीतियों/कार्यक्रमों की आलोचना करें, सरकार को मार्गदर्शन देने का काम करें कि किस तरीके से उन नीतियों/कार्यक्रमों का ठीक से एग्जीक्यूशन हो। जो नीतियाँ/कार्यक्रम इस विधान सभा में बनाए गए हैं, जो नियम/कानून सरकार ने बनाए हैं, वे जनता तक ठीक से पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। सदन के अंदर हम सरकार के हर एक्शन पर चर्चा करें।

कानून बनाते समय हमारी लंबी चर्चा/संवाद होना चाहिए। हर सरकार जनता की बेहतरी के लिए कानून बनाती है, जनता को अधिकार देने के लिए कानून बनाती है और एक निष्पक्ष और जवाबदेह शासन के लिए कानून बनाती है। कानून बनाते समय व्यापक डिबेट हो, डिटेल में डिबेट हो, उस पर व्यापक चर्चा हो।

जितनी ज्यादा चर्चा/संवाद से कानून बनेंगे, उतने ही बेहतरीन कानून बनेंगे और जनता के प्रति उतना ही हम अपने दायित्वों को निभाते हुए उनके जीवन को बेहतरीन करने का काम कर पाएंगे।

इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, मुझे खुशी है कि 40 दिन से ज्यादा गोवा विधान सभा चलती है। हमारी चिंता यह रहती है कि आजकल विधान मंडलों की बैठकों की संख्या कम होती चली जा रही है।

यह हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन गोवा छोटा राज्य होने के बाद भी यहाँ पर अच्छी चर्चा होती है, अच्छा संवाद होता है, अच्छी डिबेट होती है और डिबेट/चर्चा/संवाद से जो मंथन निकलता है, उससे हम जनता के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हमारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत है, चाहे नगर पालिका क्षेत्र है, चाहे विधान सभाएं हैं, चाहे लोक सभा है, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जितना हम जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, जितनी ज्यादा इन सदनों में चर्चा होगी, उतना ही हम कार्यपालिका पर ठीक से निगरानी और नियंत्रण कर पाएंगे।

इसीलिए इन सदनों में व्यापक चर्चा और संवाद होना चाहिए। हमें हर विषय पर चर्चा और संवाद करना चाहिए। जब ग्राम सभा में विकास की योजनाएं बनाएं तो ग्राम सभा विकास के लोग जनता में बैठें और चर्चा करें कि प्राथमिकता के आधार पर गांव में क्या विकास के कार्य करने की आवश्यकता है और लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। पंचायत उन कार्यों का विवरण राज्य सरकार तक पहुंचाए और राज्य की विधान सभा में उन योजनाओं पर चर्चा हो।

मेरा विश्वास है कि हम अपने-अपने क्षेत्र में सारी योजनाओं का एग्जिक्यूशन करते हुए सभी अभावों को दूर करने के लिए एक ऐसे पैरामीटर तक पहुंच सकते हैं कि गोवा आने वाले समय में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो एसडीजी के गोल हैं, उन्हें वर्ष 2030 से पहले पूरा करने का संकल्प ले।

मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि विधान सभा छोटे हैं, निर्वाचन मंडल छोटे हैं इसलिए हमारी जनता की अपेक्षाएं भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसमें क्या प्राथमिकता है, प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जितना हमारा बजट है, उस बजट के अनुसार प्राथमिकता तय करें और लक्ष्य तय करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करें।

यदि हमने इस दिशा में पंचायत से लेकर विधान मंडल तक चर्चा और संवाद से जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया, तो मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2047 में विकसित भारत के सपने को सबसे पहले गोवा पूरा करेगा।

गोवा विधान सभा से मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं। हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य को सामने रखकर काम करें। लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ा है और हम सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि इस भरोसे को कायम रखें। मेरा आपसे निवेदन है कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, नई तकनीक का उपयोग करते हुए हर व्यक्ति से हमारा सीधा संवाद होना चाहिए।

इस बदलते परिप्रेक्ष्य के बदलते दौर में जब टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, हम चिकित्सा क्षेत्र में आगे हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के क्षेत्र में आगे हैं। जब मैं गोवा आ रहा था, तो देख रहा था कि किस तरह से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है।

आने वाले समय में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत में हो रहा है, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंडस्ट्रीज सेक्टर हो, चाहे निवेश हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जिसमें भारत नेतृत्व नहीं कर रहा है।

हम सभी यदि सामूहिक प्रयासों से कार्यों को करेंगे, सामूहिक जिम्मेदारियों से करेंगे और पूरे संकल्प के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से वर्ष 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उसे पूरा कर पाएंगे।

मैं पुन: गोवा की विधान सभा के अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां अपनी बात कहने का अवसर दिया। निश्चित रूप से हम सभी अपने सामूहिक प्रयासों से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

हम जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए अपने क्षेत्र की जनता का अधिकतम कल्याण कर सकें, सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकें, इस जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाएंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।